

कार्यालय लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
संख्या-13/03/ई-5/2021-22
प्रयागराज- दिनांक 25 मई, 2022

विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा-2020 में केवल लिखित (मुख्य) परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होने हैं :-

सत्यापन-कार्यक्रम

क्र0 सं0	पद का नाम	दिनांक	समय	चयन क्रमांक
1	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (पौध संरक्षण शाखा)	30-05-2022	प्रातः 9.30 बजे से	01 से 25 तक
			अपरान्ह 1.30 बजे से	26 से 50 तक
2	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (रसायन शाखा)	30-05-2022	प्रातः 9.30 बजे से	01 से 50 तक
			अपरान्ह 1.30 बजे से	51 से 98 तक
3	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (वनस्पति शाखा)	30-05-2022	अपरान्ह 1.30 बजे से	01 से 05 तक
4	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (शस्य शाखा)	31-05-2022	प्रातः 9.30 बजे से	01 से 25 तक
5	वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गुप-ए (विकास शाखा)	31-05-2022	प्रातः 9.30 बजे से	01 से 50 तक
			अपरान्ह 1.30 बजे से	51 से 125 तक
		01-06-2022	प्रातः 9.30 बजे से	126 से 200 तक
			अपरान्ह 1.30 बजे से	201 से 280 तक

2- अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> के Home Page पर Click here for download document verification form set for Combined State Agriculture Service Exam. 2020 पर Click करके Registration no. and Basic details (जन्म तिथि, लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि) Submit करके पूर्व में भरे गये ऑनलाइन फार्म सेट (आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना प्रपत्र व अंकतालिका विवरण) को मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का 02 सेट तैयार कर उस फार्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 02 फोटो तथा 02 अप्रमाणित फोटो अर्थात् कुल 04 फोटो सहित नियत तिथि को प्रथम सत्र में पूर्वान्ह 9.00 बजे तथा द्वितीय सत्र में अपरान्ह 01 बजे आयोग परिसर, प्रयागराज में स्थित सरस्वती भवन में पहुँचना सुनिश्चित करें। अभिलेख सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त अंकतालिकाओं/उपाधि एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ भी अपने साथ अवश्य लाएँ। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- (क) उ0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र, ई0डब्ल्यू0एस0 का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र के प्रारूप PDF File में वेबसाइट पर उपलब्ध) तथा उक्त के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र भी लायें।
- (ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अभ्यर्थी को सेवायोजक/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में।

- विशेष:- 1- वॉछित मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 2- अभ्यर्थीगण उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हों।

|
(जगदीश)
सचिव।